न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
...7.10.25... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ...12.11.25 को पेश हो S.D.O. 12/11/25 पत्रावली पेश। वकील वादी द्वारा पत्रावली notpress का कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया। अतः पत्रावली Notpress के बतौर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा हो।	Not press

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामू उर्फ रामोतार बनाम किशोरी लाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 22 / 2025

21.02.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 51 खसरा संख्या 28 / 0.5200, 28 / 315 / 0.0500, 28 / 316 / 0.1000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6700 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात के किसी भी विशिष्ट भाग पर कोई निर्माण कार्य न करें न वादी को उसकी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। न उक्त आराजी के किसी भी भाग का रहन बय न करें ना ही पंजीयन का दस्तावेज पेश होने पर पंजीबद्ध ना करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण की मुताबिक जमाबन्द खाता संख्या 51 वाके ग्राम श्रीनगर सयुक्त खातेदारी है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 है। विवादित आराजी की तकसीम होने तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खाता संख्या 51 खसरा संख्या 28 / 0.5200, 28 / 315 / 0.0500, 28 / 316 / 0.1000 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6700 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 02.04.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी राजगढ

जिला अलवर

अधिवक्ता पेशी हेतु पेश

..7/10/25.... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ....12/11/25 को पेश हो

S.D.O.

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
Not Press	17/11/25 पत्रावली पेश। मूल वाद not press किये जाने हेतु कथन किया जा चुका है। अतः प्रकरण धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नकल से कार्य किया मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO